निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 4/2021 तारीख दायरा 15.01.2021

उनवान

1. बृजराज पुत्र रामेश्वर जाति धाकड निवासी मंडाप तह. सांगोद।
2. भरतराज पुत्र रामेश्वर जाति धाकड निवासी मंडाप तह. सांगोद। –वादी

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र शिवजी जाति धाकड निवासी मंडाप तह. सांगोद।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा। –प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थित :–

श्री बाबूलाल नागर (वकील वादी) दिनॉक :– 26.02.2021

श्री नाथूलाल नागर (वकील प्रतिवादी)

––निर्णय––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण के पिता प्रतिवादी सं.1 [illegible]त खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम मकडावद पटवार हलका [illegible] जिला कोटा में खाता सं. नई 286 के ख.न. 784 की 0.01 है., 785 की 3.00 है., ख.न. 7[illegible] की 0.08., ख.न. 79[illegible]0.14 है है. कुल 4 किता की 3.23 है. आराजी स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रतिवादी सं.1 की संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी है जिसमें प्रतिवादी सं.1 का 3/4 हिस्सा निहित है। वादीगण प्रतिवादी सं.1 के पुत्र हैं। वाद पत्र में वर्णित आराजी प्रतिवादी सं.1 को वादीगण के दादाजी स्व. श्री शिवजी से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई पुश्तैनी आराजी है, जिसमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का प्रतिवादी सं.1 के साथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 13:36:22 IST
Reason: SelfAttested

में बांट बराबर से हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हैं अर्थात वादीगण व प्रतिवादी सं.1 प्रत्येक 3/12–3/12 अर्थात 1/4–1/4 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। उक्त हिस्से को प्राप्त करने के लिए वादीगण ने प्रतिवादी सं.1 से तहसील कार्यालय में चलकर राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी सं.1 के साथ 1/4–1/4 हिस्से की घोषणा करवाने की कहने पर प्रतिवादी सं.1 टालमटूल कर रहा है तथा आज से एक माह पूर्व जब वादीगण ने प्रतिवादी सं.1 से राजस्व रेकार्ड में पुश्तैनी हिस्से की घोषणा करवाकर दर्ज करवाने की कहने पर प्रतिवादी सं.1 ने साफ मना कर दिया। ऐसी स्थिति में वादीगण के लिए आवश्यक हो गया है कि वे माननीय न्यायालय में घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती का वाद प्रस्तुत करके प्रतिवादी सं.1 के हिस्से में दर्ज पुश्तैनी आराजी में से अपने पुश्तैनी हिस्से की घोषणा करवावें जिसके लिए माननीय न्यायालय में उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया जवाद देही का अवसर दिया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से वकील श्री नाथूलाल नागर द्वारा इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। इकबाली जवाब प्रस्तुत करने की स्थिति में तनकी कायम करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, बहस उभयपक्षकारान, इकबाली जवाब दावा इत्यादि का अवलोकन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि–

माल ग्राम मकडावद पटवार हलका मकडावद तह. सांगोद जिला कोटा में खाता सं. नई 286 के ख.न. 784 की 0.01 है., 785 की 3.00 है., ख.न. 791 की 0.08., ख.न. 792 की 0.14 है है. कुल 4 किता की 3.23 है. आराजी [illegible] की 3/12–3/12 अर्थात 1/4–1/4 हिस्से का खातेरार काश्तकार [illegible] के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल [illegible] वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 13:36:22 IST
Reason: SelfAttested

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद